आयोजना क्षेत्रों में फ्लैट, प्लॉट का निबंधन जरूरी

रेरा ने सभी डीएम को भेजा निर्देश, निबंधन सुनिश्चित कराने को कहा

रेरा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में शहरों और उसके आसपास फ्लैट, प्लॉट या मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने पर उसका रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। रेरा ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे निर्माण पर नजर रखने और उसका निबंधन सुनिश्चित करने को कहा है।

इसके दायरे में संबंधित शहर के आयोजना क्षेत्र के हिस्से आएंगे। शहर के आसपास के इलाके में भी यह आदेश लागू होगा। रेरा ने आयोजना क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद डीएम को इसके क्षेत्रफल की जानकारी भी दी है। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि भूसंपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) के प्रावधान इन पर लागू होंगे। 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखंड और आठ फ्लैट से अधिक अपार्टमेंट बेचे जाने से पहले उसका निबंधन जरूरी होगा। बिना निबंधन फ्लैट, प्लॉट या दुकान की बुकिंग भी नहीं की जा सकती है। बिहार में रेरा अधिनियम वर्ष 2017 से ही लागू है। उसके बाद से ही बड़े शहरों में यह आदेश लागू है। अब एक लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के आयोजना क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र में शहर के आसपास के कस्बे और पंचायतें भी शामिल की गई हैं। आयोजना क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद इस आदेश के दायरे में शहरों के आसपास के इलाके भी शामिल हो गए हैं। ऐसी परियोजना (प्रोजेक्ट) पर निबंधन के समय भी नजर रखी जाएगी। रेरा ने डीएम से जिला अवर निबंधक को भी निर्देश देने को कहा है कि ऐसे भूखंड या उसके साथ लगे भूखंड के निबंधन पर नजर रखें। यदि किसी बिल्डर द्वारा आसपास के ऐसे भूखंड के लिए आवेदन आए, जिसका क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक है तो उसकी सूचना तुरंत दें। सभी जिला मुख्यालय और एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी तक 43 शहरों को आयोजना क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

■ आयोजना क्षेत्र में शामिल होने वाली ग्राम पंचायतें भी इस आदेश के दायरे में

अंचलाधिकारी देंगे रिपोर्ट

रेरा ने जिलाधिकारियों से कहा है आयोजना क्षेत्रों में निबंधन कराए बिना बिल्डरों द्वारा परियोजना निर्माण की शिकायत आ रही है। इसकी बुकिंग भी हो रही है। निर्माण के प्रारंभिक स्तर पर ही इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसलिए जिलाधिकारी सभी अंचलाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दें। अंचलाधिकारी इसकी रिपोर्ट तुरंत जिलाधिकारी को करें। इसकी मासिक समीक्षा की जाए।

इन शहरों का आयोजना क्षेत्र बना

जिन शहरों का आयोजना क्षेत्र अधिसूचित हो चुका है, उन्में पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर (जमालपुर सहित), बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सीवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी, शिवहर, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, सोनपुर, नवादा, गोपालगंज, बांका, सुपौल एवं शेखपुरा शामिल हैं।